

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (142). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (142), दिनांक 13-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 38/2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (142). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 32/2017-State Tax, No. F-10-73/2017/CT/V (123) dated the 15th September, 2017, of the Government of Chhattisgarh, in the Department of Commercial Tax, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide number 420 dated the 22nd September, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table –

- (i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63”;
----	--	--------------------------------

- (ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 39/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच (143). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे अधिसूचना में इसके पश्चात् “छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम” कहा किया गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “सीजीएसटी अधिनियम” कहा गया है, के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत हैं, जिन्हें इस अधिसूचना के पश्चात् “उक्त अधिकारी” कहा गया है) छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियों की राज्यस्तरीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति